

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]

No. 166]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 21, 2005/वैशाख 1, 1927

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2005/VAISAKHA 1, 1927

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2005

सा.क्र.नि. 242(अ).— भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् (सामान्य) विनियम (i), 1991 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, नामतः :—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् (सामान्य) (संशोधन) विनियम, 2005 कहा जाएगा.

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् (सामान्य) विनियम 1991 में, (जिसके बाद उक्त विनियम कहा गया है), विनियम 34 में, उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः—

(2) अध्यक्ष को परिषद् द्वारा स्वीकृत बजट प्राक्कलन के किसी भी शीर्ष से व्यय के लिए स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(3) आपात स्थिति में, अध्यक्ष किसी भी मामले पर आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं तथा परिषद् के बजट प्राक्कलन में शामिल नहीं किए गए किसी भी मद पर पच्चीस हजार रुपए तक व्यय करने की स्वीकृति जारी कर सकेंगे तथा इसकी सूचना तत्काल कार्यकारिणी समिति को देंगे।

(4) उक्त विनियमों के विनियम 47 के परन्तुक में अक्षर तथा आँकड़े "25,000 रुपए" के लिए "एक लाख रुपए" को प्रतिस्थापित किया जाए।

4. उक्त विनियमों के भाग VIII में,-

- (क) 'कार्यकाल तथा' नामक शुरुआती शब्दों को हटा दिया जाए; तथा
(ख) विनियम 53, 55 तथा 58 को हटा दिया जाए।

5. उक्त विनियमों के विनियम 61 के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः:-

⁶¹ परिषद की बैंकर किसी अनुसूचीबद्ध बैंक की स्थानीय शाखा होगी। परिषद की सभी धनराशि उस बैंक में परिषद के खातों में जमा की जाएगी तथा बैंक के जरिए निकाली जाएगी जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	राशि	हस्ताक्षरकर्ता
क.	5000/- रुपए तक	संयुक्त रूप से सचिव तथा सहायक सचिव या लेखाकार
ख.	विनियम 68 के प्रावधानों के अनुसार वेतन, यातायात भत्ता, दैनिक भत्ता तथा इनके जैसे अन्य भुगतान के लिए	संयुक्त रूप से सचिव तथा सहायक सचिव या लेखाकार
ग.	क्रम संख्या ख में उल्लिखित मदों को छोड़कर 5000 रुपए से अधिक	संयुक्त रूप से अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा सचिव

स्पष्टीकरण:- इस विनियम के लिए 'अनुसूची बैंक' का आशय है एक ऐसा बैंक जो इस समय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के द्वितीय अनुसूची में शामिल है।

6. उक्त विनियम के विनियम 66 के लिए, निम्नलिखित विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

⁶⁶ विनियोजन की प्रमुख मदें होंगी वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मजूरी, सनयोपरि भत्ता, छुट्टी नगदीकरण, पेंशन या उपदान निधि में अंशदान, मानदेय, किराया, दरें तथा कर, यात्रा व्यय, सामान्य भविष्य निधि के लिए ब्याज, कार्यालय व्यय, परीक्षा व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्यय¹।

7. उक्त विनियमों के विनियम 68 के लिए, निम्नलिखित विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

⁶⁸ (1) सचिव के पास वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मजूरी, छुट्टी यात्रा भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वाहन, किराया, दरें तथा कर, बिजली तथा पानी शुल्क, लेखन सामग्री, डाक-टेलीफोन व्यय से संबंधित व्यय के लिए स्वीकृति देने तथा चेक जारी करने की संपूर्ण शक्ति होगी।

(2) आकस्मिक विविध मदों के मामले में, सचिव के पास प्रत्येक मामले में पाँच हजार रुपए तक की राशि व्यय करने की शक्ति होगी। इससे अधिक राशि के व्यय के लिए अध्यक्ष का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(3) सचिव के पास अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सभी प्रकार की अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की शक्ति होगी।

(4) सचिव के अग्रिमों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा खियायत तथा सेवानिवृत्ति लाभों के लिए स्वीकृति प्राधिकारी अध्यक्ष होंगे।

8. उक्त विनियमों के विनियम 69 के लिए, निम्नलिखित विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"69. सचिव के नियंत्रण के अंतर्गत परिषद के कार्यालय में पाँच हजार रुपए का स्थायी अग्रिम उपलब्ध कराया जाएगा।"

[फा. सं. 12-3/98/वीसीआई]

डॉ. अनुप भौमिक, सचिव

षाद टिप्पणी :—मुख्य विनियमों को दिनांक 18 नवम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या जी एसआर 694(ई) के जरिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था तथा तदुपरांत दिनांक 3 फरवरी, 1992 को अधिसूचना सं० जीएसआर 76(ई) के तहत शुद्धिपत्र जारी किया गया था।

VETERINARY COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2005

G.S.R. 242(E).—In exercise of the powers conferred by section 66 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Veterinary Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Veterinary Council of India (General) Regulation(s), 1991, namely :-

1. (1) These regulations may be called the Veterinary Council of India (General) (Amendment) Regulations, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official

2. In the Veterinary Council of India (General) Regulations 1991, (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 34, for sub-regulations (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely :-

"(2) The President shall have the power to sanction expenditure on any head upto the budget estimate duly sanctioned by the Council.

(3) In case of urgency, the President may take necessary action on any issue and sanction expenditure not exceeding rupees twenty five thousand on any item which has not been provided in the budget estimates of the Council and intimate the fact to the Executive Committee immediately".

(4) In the proviso to regulation 47 of the said regulations, for the letter and figures "Rs. 25,000", the words "one lakh rupees" shall be substituted.

4. In Part VIII of the said regulations, -

(a) The beginning words of the heading namely, "TENURE OF OFFICE AND" shall be omitted; and

(b) regulations 53, 56 and 58 shall be omitted.

5. For regulation 61 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely :-

"61. The bankers of the Council shall be the local branch of a Scheduled Bank. All funds of the Council shall be paid into the Council's account with that bank and shall be withdrawn by means of cheques as mentioned below :-

Serial. No.	Amount	Signatory
a.	Upto Rs. 5,000/-	Jointly by Secretary and Assistant Secretary or Accountant
b.	Payment of Salary, Traveling Allowance, Daily Allowance and the like as provided in regulation 68	Jointly by Secretary and Assistant Secretary or Accountant
c.	Beyond Rs.5000 except the items specified in Serial number b	Jointly by President or in his absence the Vice-President and Secretary".

Explanation.- For the purpose of this regulation 'Scheduled Bank' means a bank for the time being included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934.

6. For regulation 66 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely :-

"66. The primary units of the appropriations shall be salaries, medical reimbursement, wages, overtime allowances, leave encashment, contribution to pension or gratuity fund, honorarium, rent, rates and taxes, traveling expenses, interest to General Provident Fund, office expenses, examination expenses and other administrative expenses".

7. For regulation 68 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely :-

"68. (1) The Secretary shall have full power to sanction and issue cheques for expenditure on account of salaries, medical reimbursement, wages, Leave Travel Concession, retirement benefits, Traveling Allowance, Daily Allowance, conveyance, rent, rates and taxes, electricity and water charges, stationery, postage and telephone expenditure. (2) In case of contingency miscellaneous items, Secretary shall have power to sanction expenditure upto an amount not exceeding rupees five thousand in each case. Expenditure in excess of that amount shall require the approval of the President.

(3) The Secretary shall have power to sanction all types of advances to its officers and employees.

(4) The President shall be the sanctioning authority for advances, medical reimbursement, Leave Travel Concession and retirement benefits of the Secretary".

8. For regulation 69 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely :-

"69. A permanent advance of five thousand rupees shall be made available to the office of the Council under the control of the Secretary".

[F.No. 12-3/98/VCI]

Dr. ANUP BHAUMIK, Secy.

Foot Note:— The principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification number GSR 694(E) dated the 16th November, 1991 and subsequently corrigendum issued by notification number GSR 76 (E), dated the 3rd February, 1992..

1274 811005-2

